मुहाफ़िज़े दीन के मन्सब की अहमियत और उसकी ज़रूरत

हुज्जतुल इस्लाम वलमुस्लिमीन मौलाना सै० हसन नक़्वी साहब

दुनिया के मनसबों में किसी निज़ाम के मुहाफ़िज़ की ज़िम्मादारिया जब शदीद होती हैं और उसकी कोई ग़लती ऐसे नुक़सान का कारण बन जाती है जिसकी भरपाई न हो सके तो वह क़ानून बनाने वाला जो हमेशा के लिए दीनी और दुनियावी ज़िन्दगी के हर-हर शोबे का ज़िम्मेदार हो उसके यहाँ किसी ग़लती के क्या नतीजे हो सकते हैं? और ये एक फ़ितरी ज़रूरत है कि जितने बड़े नुक़सान का इन्सान को ख़तरा हो उसी एतेबार से उस नुक़सान से बचने का एहतेमाम होना चाहिए। कुछ नुक़सान ऐसे मामूली होते हैं जिनको इन्सान बर्दाश्त कर लेता है, कुछ नुक़सान ऐसे होते हैं जो ज़िन्दगी के किसी एक हिस्से के लिए नुक़सान पहुँचाने वाले होते हैं जिनको मजबूरन इन्सान क़ुबूल कर लेता है। कुछ नुक़सान दुनियावी ज़िन्दगी को तबाह कर देते हैं और कुछ ख़तरे रूहानी ज़िन्दगी के लिए होते हैं कुछ डर वक़्ती होते हैं और कुछ हमेशा के। तो जितने बड़े नुक़सान का इन्सान को ख़तरा होता है उसी हिसाब से बड़े पैमाने पर उस ख़तरे से बचने के लिए रास्ते निकाले जाते हैं। वक़्ती नुक़सान से हिफ़ाज़त हमेशा वाले नुक़सान की बनिस्बत कम की जाती है मामूली नुक़सान से हिफ़ाज़त बड़े नुक़सान की बनिस्बत कम की जाती है। तो जब ये क़ायदा है और इन्सानी फ़ितरत की चाहत है, तो अगर माद्दी और वक़्ती बनाने वाले और क़ानून की हिफ़ाज़त करने वाले के लिए इतनी एहतियात बरती जाती हैं कि कहीं ग़लती न हो जाए। तो उस क़ानून के मुहाफ़िज़ और मुबल्लिग़ को जो कि इन्सानी ज़िन्दगी के हर हिस्से से चाहे वह माद्दी हो या रूहानी, हमेशा का हो या वक़्ती सबसे जुड़ा है, तो भला क़ानून बनाने वाले को ग़लती करने वाला क्यों ख़याल किया जा सकता है? और ऐसे क़ानून को किसी ग़लतकार के हवाले कर दिया गया तो हर मामूली से मामूली ग़लती पर पूरी इन्सानियत का सरमाया पानी में चला जायेगा। ऐसे क़ानून बनाने वाले के लिए सिर्फ़ ग़लती न करना ही काफ़ी नहीं है। बल्कि मुमकिन ग़लती और ग़लती का एहतेमाल भी न होना चाहिए।

अब अगर ये कहा जाए कि मुक़न्निन और मुहाफ़िज़े क़ानून को सिर्फ़ ऐसा होना चाहिए जो जानबूझकर ग़लती न करता हो, यानी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अपने उसूलों पर अमल करता है और दूसरों को तबलीग़ करता हो तो ऐसे मुबल्लिग़ से तबलीग़ की ग़रज़ पूरी हो सकती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि इमकान और ख़ता और ग़लती का एहतेमाल भी न हो। क़ानून लागू करने के लिए अक़्वाल की अहमियत है। बस इस शख़सियत वाला क़ानून होना काफ़ी है जो इमकान भर उसूल वाला और ग़लतियों से पाक हो, ग़लतियों पर अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिशात की वजह से अमल न करे जब ऐसा रहबर और मुबल्लिग़ होगा तो वह अपने फ़राएज़ को पूरा करने पर क़ादिर होगा और ऐसे क़ानून बनाने वाले का मिशन बहुत ही कामयाब होगा। दुनिया का कोई अक़्लमन्द इस हद से आगे बढ़ने को ज़रूरी नहीं ख़याल करता सिर्फ़ ऐसे ही पाकीज़ा इन्सानों पर बस करके मुल्कों की बागडोर उनके हाथों में दे दी जाती है और हुस्नो ख़ूबी के साथ मुल्क का निज़ाम चलता रहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि ग़लती करने वाले लोगों से आगे बढ़कर ऐसे लोग तलाश किये जायें जिनसे इम्कानी ग़लती भी न हो। लेकिन अगर ग़ौर किया जाए तो बुनियादी एतेबार से सिर्फ़ इसी हद पर भरोसा कर लेना मिशन को कामयाब नहीं बना सकता ये सही है कि दुनियावी बादशाहों के यहाँ अगर बहुत ज़्यादा एहतियात की गयी तो ऐसे को बादशाह बनाया गया जो आमतौर से ग़लतियाँ न करते हों लेकिन वह बादशाहत दुनियावी थी और उनके असरात सिर्फ़ माद्दी और वक़्ती थे ऐसे बादशाहों की ग़लतियाँ वक़्ती तौर पर हलाकत की वजह हो सकती हैं जिसमानी एतेबार से हलाक करने वाली हो सकती हैं उनको लिबासे दवाम नहीं पहनाया जा सकता उनको रूहानी तक़ाज़ों से नहीं जोड़ा जा सकता इसलिए चूँकि ख़ुसरवाने दुनिया की ग़लतियाँ सिर्फ़ जिस्म के नुक़सान और वक़्ती नुक़सान ही की हदों में रहती हैं, इसलिए उनके लिए वह हद "कि आम तौर पर ग़लती न करते हों" काफ़ी हो जाएगी लेकिन जिस की हमेशा की ज़िम्मेदारी, घिरे हुए ज़माने और जगह से आज़ाद हो, जिस्म और रूह की बेड़ियों से अलग हो और मुल्क और क़ौम की हद बन्दियों से महदूद न हो उसके यहाँ

ग़लती का इमकान भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ग़लती का इमकान होगा तो ग़लती ज़रूर करेगा और अगर न भी करे तब भी उसके अक़्वाल और आमाल इस ज़िम्मेदारी के साथ पैरवी और इताअत के लायक़ नहीं बन सकते जिस तरह ख़ता न करने वालों के काम और बातें पैरवी और इताअत के लायक़ हो सकती हैं क्योंकि हर लम्हा हर सुनने वाले को ये गुमान रहेगा कि मुमकिन है इस वक़्त ये क़ानून बनाने वाला जो कर रहा है अपनी ख़्वाहिशों की वजह से क़ानून के ख़िलाफ़ कर रहा है और हम अमल करें तो हमेशा की हलाकत में फंस जाएं इसलिए एक तो निज़ाम को पूरी तरह ज़हनों में जगह नहीं मिल सकेगी और दूसरे जब ग़लती हो जायेगी तो न मिटायी जाने वाली ग़लती होगी जिससे हमेशा की हलाकत और हमेशा की फ़ना में इन्सान फंस जायेगा।

दुनियावी बादशाहों के फ़राएज़ ज़ाहिरी और माद्दी इन्तिज़ाम से मुताल्लिक़ होते हैं जिन पर अगर एक तहज़ीबी दिमाग़ ग़ौर करे तो सही और ग़लत में फ़र्क़ कर सकता है इसलिए इसके लिए सिर्फ़ वह काफ़ी समझी जा सकती है लेकिन जहाँ ज़ाहिरी हालात के सुधार के साथ-साथ इस ग़ैबी और आख़िरत वाली ज़िन्दगी से भी सुधार मुताल्लिक़ हो जहाँ तक आली दिफ़ाअ से माली दिफ़ाअ तक इन्सान बिना किसी ग़ैबी सहारे के नहीं पहुँच सकता, उसके हालात उसी ग़ायब ज़िन्दगी के कैफ़ियात उस ज़िन्दगी के लिए तोशा, और इसी तरह की अकसर चीज़ें जिनको ज़ाहिरी दिफ़ाअ नहीं ख़याल कर सकते। ऐसे ग़ायब हालात का भी सुधार जिसके हवाले हो उसको ऐसा ही होना चाहिए जिससे इमकानी ग़लती न हो। क्योंकि मुबल्लिग़े क़ानून, मज़हब से मुताल्लिक़ जो फ़राएज़ तालीम हैं उनमें से अकसर ऐसे हैं जिनको इन्सान की माद्दी निगाहें न तो देख सकती हैं और न जिनमें सेहत व अदम को इम्तियाज़ सतही दिफ़ाअ कर सकते हैं। इसलिए अगर ऐसे उसूलों का मुहाफ़िज़ ग़लती करने वाला होगा तो यक़ीनन उसकी हर ग़लती ऐसे बड़ी बर्बादी के ग़ार में पूरी इन्सानियत को ढकेल देगी जिसके बाद सिवाए हमेशा बाक़ी रहने वाली हलाकत के कोई रास्ता न हो, मालूम हुआ कि मज़हबी क़ानून के मुहाफ़िज़ को बेदाग़ किरदार का मालिक होना चाहिए और अपनी ज़िन्दगी के हर-हर लम्हे में गुनाहों से पाक होना चाहिए, या दूसरे लफ़्ज़ों में यूँ कहा जा सकता है कि अव्वल से आख़िर तक मासूम होना चाहिए, यही वजह है कि ख़ालिक़े कायनात ने क़ानूने शरीअत जिन हाथों में दिया है वह ऐसे थे जिनसे ख़ुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं हो सकता था उसने अपने क़ानून ऐसे लोगों के हवाले कर दिये जिनसे ग़लती मुमकिन नहीं थी। जितनों को क़ानून का मुहाफ़िज़ बनाया उन सबको पहले इस्मत का लिबास पहना दिया। अगर ख़ुदाई क़ानून के मुहाफ़िज़ों के किरदार का मुताला किया जाए तो ऐसे पुख़्ता किरदार, ऐसे बाउसूल, ऐसे एहतियात करने वाले मिलेंगे, जिनसे ग़लतियों का होना नामुमकिन था।

पिछला उसूल जो बयान हो चुका, यानी जब अहम क़ानून होता है, उसी एतेबार से क़ानून बनाने वाले के चुनाव में एहतियात रखी जाती है। अगर वक़्त के बादशाहों के हाथों में मुल्क की बागडोर आयी तो उनके लिए सिर्फ़ इतना काफ़ी समझा गया कि वह आम तौर से ग़लतियाँ न करते हों और नबियों और रसूलों के चुनाव में ये सामने रखा गया कि अगर किसी घिरे हुए वक़्त में किसी ख़ास क़ौम व मुल्क के लिए क़ानून बनाये गये तो उनकी हिफ़ाज़त करने वालों के बारे में ऐसे लोगों को काफ़ी समझा गया जो गुनाहों से तो हर हाल में पाक हों, लेकिन अगर उनसे तर्के औला हो जाए तो कोई हरज नहीं। अगर ग़ौर किया जाए तो तर्के औला न कर सकने वाला मुहाफ़िज़े क़ानून, क़ानून के फैलाने के एतेबार से नाक़िस या नुक़सान देने वाला नहीं ख़याल किया जा सकता। क्योंकि तर्के औला वह चीज़ है जो क़ानून के हिसाब से जुर्म नहीं होता बल्कि सिर्फ़ किसी बुलन्दतर दरज-ए-अमल के ख़िलाफ़ होता है इसलिए जब ये मतलब तर्के औला का हुआ, तो अब मान लिया जाए किसी दूसरे से भी ऐसे मुहाफ़िज़े क़ानून के किरदार के असर की वजह से तर्के औला हो गया, तो ज़ाहिर है कि न तो कोई दुनियावी, अख़लाक़ी, तहज़ीबी, गिरी हुयी हलाकत पैदा हुई और न आख़िरत का कोई नुक़सान हुआ। इसलिए ऐसे को मुक़न्निन और मुहाफ़िज़े क़ानून बना देना कोई चुनावी ग़लती, या ऐसे मुक़न्निन का तै कर दिया जाना बरबादी की वजह नहीं ख़याल की जा सकती। लेकिन जब मुल्कों और क़ौमों की हदों से आगे बढ़कर वसीअ क़ानून बनाये गये तो उसमें और ज़्यादा एहतियात रखी गयी। अब ऐसे मुहाफ़िज़े क़ानून बनाये गये जिनसे ज़िन्दगी के किसी लम्हे में कोई तर्के औला भी नहीं हुआ और जब वह हमेशा बाक़ी रहने वाली शरीअत आयी जिसको लागू करने के लिए मुक़द्दमे के तौर पर पिछली सभी शरीअतें आयी थीं, जो शरीअत जब से लागू की गयी उस वक़्त से ज़िन्दगी की इन्तेहा तक रहेगी। उसके हामिल और मुहाफ़िज़ ऐसे चुने गये जिनसे तर्के औला भी न हुआ हो जो अपनी ज़िन्दगी के हर-हर लम्हे में ज़िन्दगी के हर-हर हिस्से में मासूम रहे और ऐसे मासूम जिनसे तर्के औला न भूल कर और न जानबूझ कर किसी हालत में न हुआ। ✦✦✦